A-d

VISION IAS

www.visionias.in

02 SEP 2019

SUBJECT:	ESSAY		Test Code:	1	2	5	2

Name of Candidate	Sandeep Kumar							
Medium Hindi/Eng.	Hindi	Registration Number	4	7	3	8	1	7
Center	MN	Date	0	2	0	9	1	9

INDEX TABLE

Q. No.	Page No.	Maximum Marks	Marks Obtained

Total Marks Obtained:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
4. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
5. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
6. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है; शिक्षा स्वयं ही जीवन है

राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक व्यक्ति द्वारा राजस्थान सरकार में लिपिक का रोजगार प्राप्त कर लिया। यह एक व्यक्ति की सफलता उसके गांव में कई व्यक्तियों को रोजगार के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए लालायित की। इन युवाओं ने शिक्षा जीवन की तैयारी का माध्यम मान लिया।

उसी गाँव का मोहन लाल ने राजस्थान विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया। और वह लगातार विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर व PHD भी करने लग गया। गाँव में सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उसने अपने अध्ययन के दौरान गांधी, विवेकानन्द, टैगोर और अन्य चिंतकों का गहरा अध्ययन

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

किया। अपने व्यक्तित्व व जीवन के रूप में शिक्षा की प्राप्ति की। आज वह व्यक्ति राजस्थान विश्वविद्यालय में प्राध्यापक है।

उपर्युक्त कहानियों का निष्कर्ष यह है कि यदि हम शिक्षा को सिर्फ रोजगार प्राप्ति व जीवन निर्माण का माध्यम ही समझते हैं तो शिक्षा का यह एकांगी पक्ष है। जबकि शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मैं इस कथन से पूर्णतया सहमत हूँ "शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है; शिक्षा स्वयं ही जीवन है।

इस विषय को विस्तार देने पर पाते हैं कि कैसे शिक्षा जीवन के विविध पक्षों को स्पर्श करती है। शिक्षा मात्र साक्षरता से ही नहीं जुड़ी होती है बल्कि यह उससे आगे है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जब हम मध्यकाल में कबीर, सूरदास आदि कवियों व संतों पर ध्यान देते हैं तो पाते है कि ~~इन्होंने~~ साक्षरता ग्रहण नहीं की ~~इन्होंने~~ लेकिन इनका बहुत ही गहरा व समाज को दिशा देती है।

इतिहास में देखते हैं तो पाते हैं कि प्रत्येक क्रांति व विचारों की उत्पत्ति में ज्ञान या शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था। शिक्षा के प्रसार ही लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान हुआ। अधिकारों की मांग ने ब्रिटेन में मैग्नाकार्टा, अमेरिका की क्रांति व फ्रांस की क्रांति के रूप में सामने आई।

इसी प्रकार शिक्षा के कारण ही सर्वप्रथम धार्मिक पाखंडों का विरोध हुआ चाहे वह चर्च के खिलाफ विद्रोह हो या भारत में समाज सुधार आंदोलन है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत का अतीत शिक्षा के विषय में उत्कृष्ट है। यहाँ अतीत में गुरुकुल के रूप में उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था थी। इसी कारण भारत में चिकित्सा, गणित आयुर्वेद, प्रणाली, समाज शास्त्र व दर्शन उच्च कोटि का पाया जाता है।

भारत में मुस्लिम आक्रांताओं और अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया। जो नालन्दा व तक्षशिला के विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों से वर्तमान तक पतन की ओर गतिशील है।

वर्तमान समय में जब जीवन के बहुआयामी पक्षों पर नजर डालते हैं तो शिक्षा का महत्व उल्लेखनीय रूप से पाते हैं। सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण मोड़ शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तन से ही आया है जैसे भाप के इंजन के विकास से औद्योगिक क्रांति व तकनीकी के विकास के कारण.

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

विश्व 4th की औद्योगिकी क्रांति के लिए तैयार नजर आ रहा है।

शिक्षा राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आती है। शिक्षा के कारण लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं और चुनावों के माध्यम से योग्य लोगों का चुनाव भी करते हैं।

जैसे - जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है वैसे ही अधिकारों के प्रति जागृति भी बढ़ती है। भारत में अनुच्छेद - 21 की विस्तृत व्याख्या इसका एक उदाहरण है।

जनता की जागृति के कारण ही RTI, लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण अधिकार जनता को प्राप्त हुए हैं।

जनता की संपूर्ण जरूरतें वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा के प्रसार के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सरकार की जिम्मेदारी बन गई है। वर्तमान सरकार ने आयुष्मान भारत के माध्यम से सभी को स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास कर रही है।

शिक्षा के माध्यम से लोगों में राजनीतिक जागृति आती है। इसके कारण संविधान का दर्शन व्यवहार में लागू होता है।

हाल ही में भारत में शिक्षा स्तर में वृद्धि व I.I.T. के कारण तकनीक शिक्षा के माध्यम से वैश्विक संसाधनों का फायदा भी उठा रहे हैं। भारत सेवाओं का निर्यात करता है।

शिक्षा का एक बहुआयामी महत्व रखती है। शिक्षा स्तर के बढ़ने से समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ता है। समाज में मानवीय मूल्यों को भी बढ़ावा मिलता है इन मूल्यों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

से समाज में वंचित व सुभेद्य वर्ग के प्रति भी दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। शिक्षा से आज भारतीय समाज महिला, वंचित वर्ग और तृतीय लिंग वाला समुदाय के प्रति अधिकार चेतना से युक्त हुआ है।

शिक्षा के महत्व को आर्थिक क्षेत्र में देखने पर पाते हैं। इसके कारणों किसानों के जीवन स्तर में सुधार होता है। शिक्षित किसान अपनी पैदावार की मूल्यों के प्रति भी जागरूक रहता है। महाजनी शोषण से मुक्ति भी पाता है और ऋण के संस्थागत माध्यम चुनता है।

शिक्षा के कारण व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने की बजाय रोजगार पैदा करने वाला बनता है। msme क्षेत्र में शिक्षित व्यक्ति अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

शिक्षा के महत्व के बारे में भारत के राष्ट्र निर्माताओं के विचार भी महत्वपूर्ण है। गांधी बुनियादी शिक्षा पर बल देने की बात करते हैं। जवाहर लाल नेहरू ने तकनीकी शिक्षा और शोध पर बल दिया। विवेकानन्द शिक्षा के माध्यम से गरीबों के कल्याण की बात करते हैं।

वर्तमान प्रधानमंत्री शिक्षा को व्यक्ति व राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के रूप में देखते हैं। नरेन्द्र मोदी शिक्षा के माध्यम से नया भारत व 5 trillion डालर के सपने को पूरा होते हुए देखते हैं।

उपर्युक्त वर्णन से शिक्षा के माध्यम जीवन को देखते हैं। अब हमें भारत की शिक्षा व शिक्षा प्रणाली की व्याप्त समस्याओं पर भी एक

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

नजर डालनी होगी। भारत में शिक्षा व्यवस्था बहुत सी समस्याओं से घिरी हुई है।

शिक्षा से भारत में 26% जनसंख्या अभी दूर है। यह पैमाना साक्षर होने का है न कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का है।

शिक्षा में गुणवत्ता भी बहुत निम्न स्तरीय है। ASER के सर्वे बताते हैं 5 वीं स्तर के बच्चे सामान्य पठन कार्य करने में भी समर्थ नहीं है।

शिक्षा की स्थिति लिंग के आधार पर भी विद्रूपताएँ देखने को मिलती है। महिलाओं में शिक्षा का स्तर और भी निम्न है। राजस्थान में यह स्तर सर्वाधिक कम 50% ही है।

शिक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों में और भी स्थिति खराब है। यहाँ

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं हैं। गुणवत्ता ~~युक्त~~ शिक्षा को यह महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

भारत में शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी खामियाँ है। शिक्षकों का प्रशिक्षण सिर्फ खानापूर्ति ही बन गया है।

शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत सुविधा जैसे भवनों, शौचालय आदि से भी शिक्षा प्रभावित होती है। इन सुविधाओं के बढ़ने से ड्रॉप आउट में कमी आई है। इसका लड़कियों के साथ सहसंबंध है।

सरकार ने उपर्युक्त समस्याओं के निस्तारण के लिए विभिन्न प्रयास व विभिन्न स्तरों पर किए हैं।

सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट जारी किया है जो पुरानी शिक्षा नीति की खामियों व नए

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी होगा। इस नीति में शिक्षा की सभी समस्याओं का समग्र निस्तारण का प्रयास किया गया है।

उच्च शिक्षा के वित्तपोषण जैसी समस्याओं को संबोधित करने के लिए HEFA का निर्माण किया।

~~प्राथमिक~~ माध्यमिक शिक्षा की आवसंरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए RMSA के माध्यम से नियमित वित्त व निगरानी की जा रही है।

प्राथमिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है यहाँ drop out को विद्यालय से जोड़ा जा रहा है व पोषण युक्त ~~पौष्टिक~~ भोजन के माध्यम से कुपोषण से भी मुक्ति का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार वंचित वर्ग ST, SC व अल्पसंख्यकों के लिए अनेक योजनाएँ चला रही है - नई रोशनी, एकलव्य

Model विद्यालय व कस्तूरबा विद्यालय मुख्य है।

सरकार उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा दे रही है और विश्वविद्यालयों को रैंकिंग देकर प्रतियोगिता का वातावरण निर्मित कर रही है।

शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिए श्रेयस योजना व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्रेयस योजना में अप्रैन्टिसशिप को गुणवत्ता बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है।

इस संदर्भ में में निम्न प्रयास और किए जा सकते हैं उच्च शिक्षा में निजि क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा सकता है। भारत के विश्वविद्यालयों में वैश्विक स्तरीय R&D को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

समग्रत: के साथ इस विषय पर विचार करने पर पाते हैं शिक्षा जीवन के सभी पहलुओं को नए तरीके से जीना ~~सकती~~ सिखाती है। जीवन को दूसरों के प्रति उदार व सेवा करने की प्रेरणा भी देती है। यदि हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था व नए भारत का निर्माण करना है तो शिक्षा को बढ़ावा देना ही होगा। शिक्षा के माध्यम से हम गांधी, टैगोर व विवेकानन्द के सपनों का भारत का भी निर्माण कर सकते हैं।

"where the mind .... ।"

अंतिम व्यक्ति की वास्तविक आजादी भी शिक्षा से ही प्राप्त होगी। तुलसी का रामराज्य की स्थापना में शिक्षा निहित है — " दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कहुँ नहीं व्यापा।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. कानून का लक्ष्य स्वतंत्रता को समाप्त या सीमित करना नहीं, अपितु उसे संरक्षित और विस्तारित करना है।

भारत के आजादी से पूर्व के कानूनों पर नजर डालने पर पाते हैं कुछ कानून भारतीयों के कल्याण के लिए थे जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह आदि जबकि कुछ कानून स्वतंत्रता व भारतीयों को कुचलने के लिए जैसे रोलेट एक्ट व प्रेस पर प्रतिबंध।

इसी प्रकार आजादी के बाद संविधान के रूप में भारतीयों की स्वतंत्रता को संरक्षित व विस्तारित ही नहीं अपितु आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक कल्याण के रूप में सर्वोच्च कानून का निर्माण किया गया है यह कानून के लक्ष्य सर्वोत्तम तरीके से प्रतिबिंबित करता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आजादी के बाद के अन्य कानून भी जनता की स्वतंत्रता व कल्याण के लिए बने हैं। वर्तमान में नरेगा, खाद्य सुरक्षा, RTI व लोकपाल कानून जनता की मांग व आवश्यकता के अनुसार बने हैं। मैं इस कथन से पूर्णतया सहमत हूँ।

अब हमें कानून के लक्ष्य पर विचार करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कानून का निर्माण कौन कर रहा है, कानून निर्माण करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है। वैसे ही कानून किस वर्ग को संबोधित करता है (किस वर्ग के लिए)

इन सब प्रश्नों का उत्तर ~~[illegible]~~ कानून निर्माण करने वाली शक्ति (प्रजातंत्र में जनता, राजतंत्र में राजा... आदि) से ही तय होते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कानून से तात्पर्य ऐसे नियमों का निर्धारण से हैं जिनमें राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता व जीवन के चहुँमुखी विकास के लिए बुनियादी जरूरतें प्रदान करता है या व्यक्ति स्वयं इनको प्राप्त करने का प्रयास करता है लेकिन इस प्रक्रिया किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकार प्रभावित न हो।

कानून के लक्ष्यों ~~की~~ को मध्यकाल में देखते हैं तो पाते हैं राजतंत्र के संचालन के लिए कठोर के कानून थे। हिंसा के प्रति हिंसा ही न्याय था। इस संदर्भ रामचरित मानस (1574) में तुलसी दास जी कहते हैं—

"मुखिया मुख सो चाहिए
पाले पोसे सकल अंग।"

अर्थात राजा ऐसा हो जो जनता की सेवा करें और यह भी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कहते हैं जो राजा जनता के कल्याण की बात न करें वे नरक के अधिकारी हैं।

इस संदर्भ में गांधी के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है वे कानून के संदर्भ में व्यक्ति के स्वानियमन पर बल देते हैं। राज्य की भूमिका बहुत ही सीमित अर्थों में देखते हैं।

संविधान का इतना श्रेष्ठ व जीवंत होने का कारण यह भी संविधान महज 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ही नहीं बना था इसके मूल्यों पर कार्य राजा राम मोहन राय से शुरु होकर 1949 तक की यात्रा थी। जो भारतीय जनता की आशा व आकांक्षा को वर्तमान में भी पूरा कर रहा है।

कानूनों के लक्ष्य को एक और दृष्टिकोण से देखते हैं। इसमें हम प्रत्येक व्यक्ति को संसाधनों के के वितरण को समान रूप से करने के लिए भी किया

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जाता है। इस संदर्भ में हम खाद्य सुरक्षा कानून व सब्सिडी की अवधारणा देख सकते हैं। यदि इस दृष्टिकोण का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो गरीबों व वंचितों के कल्याण को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे।

समाज के वंचित व शोषित वर्गों को संरक्षण देने के लिए भी कानूनों का निर्माण किया जाता है जैसे अस्पृश्यता कानून व सती प्रथा के उन्मूलन के कानून, हाल ही में तीन तलाक का कानून भी महत्वपूर्ण है।

कानून के निर्माण का लक्ष्य शासन व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए भी किया जाता है। चुनाव करवाने व नियमित करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम - 1950 व 1951 महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार विधायिका कार्यपालिका को

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भी भारत में नियंत्रित व दिशा देने का कार्य करती है।

न्यायपालिका संविधान की कसौटी पर इन दोनों के क्रियाकलापों पर ~~व्यवस्था~~ का मूल्यांकन करती है। इस अवधारणा में कानून के माध्यम से जनता की स्वतंत्रता को संरक्षित व विस्तारित किया जाता है। वर्तमान समय अनुच्छेद 19 व 21 का व्यापक दृष्टिकोण (गरिमामय जीवन) से देखा जाना।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने व युद्ध जैसी समस्याओं को टालने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ व सभी देशों के परामर्श से विभिन्न कानून बनाए ~~जा सकते~~ गये हैं। इस संदर्भ UNCLOSE, बाल अधिकार, मानव अधिकार, जिनेवा कंवेंशन, पेरिस जलवायु परिवर्तन संधि

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आदि महत्वपूर्ण हैं। परमाणु नि:शस्त्रीकरण मजदूरों के कल्याण के लिए कानून निर्माण के कार्यों प्रयासरत हैं।

आर्थिक क्रियाकलापों में देखने पर कानून का लक्ष्य विकास व विकास की प्रक्रियाओं में सबकी भागेदारी सुनिश्चित करने से है। इस संदर्भ में भारत में FDI के संदर्भ में, SEBI के नियम शेयर बाजार को नियमित करना, कंपनी कानूनों व कर के निर्धारण के कानून महत्वपूर्ण है।

सरकार आम जनता के कल्याण व शोषण से मुक्ति के लिए महिलाओं को मातृत्व अवकाश, समान काम के लिए समान वेतन, हाल ही में मजदूरों के कानूनों का संहिताकरण जैसे प्रयास उल्लेखनीय है।

सरकार आपदा प्रबंधन के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लिए भी जनता की सुरक्षा व आपदा के बाद विकास के लिए विभिन्न गाइडलाइन जारी करती है।

तकनीकी के माध्यम से कानून निर्माण व क्रियान्वयन को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकता है।

समग्रत: इस विषय के सभी पहलुओं को देखने पर पाते हैं व्यक्ति के सभी क्षेत्रों में कानून के निर्माण द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को विस्तारित व संरक्षित ही किया जाता है।

लेकिन विभिन्न व्यवस्थाओं में कानून निर्माण में विभिन्न समस्याएँ भी देखने को मिलती हैं। इन समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक है।

कानून निर्माण में सरकारों द्वारा अपने निहित स्वार्थों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें चुनाव की फंडिंग भी महत्वपूर्ण रूप

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

से प्रभावित करती है। जनता की भावनाओं के आधार पर वोट मांगे जाते हैं।
कविवर नागार्जुन भी कहते हैं:-

"गांधी का नाम बेचकर बतलाओ
कब तक खाओगे।
यम की दुर्गंध लगेगी
नरक भला कैसे जाओगे।"

कानून निर्माता संस्थाओं (विधायिका) में अपराधीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिली है। ADR की रिपोर्ट विधायिकाओं में 15% अपराधी चुनकर आ गए।

विधि निर्माण में वंचित वर्गों व महिलाओं की भूमिका समानुपातिक अनुपात में नहीं है। कार्यपालिका में भी यह अनुपात कम ही है।

न्यायपालिका तक धनवान लोगों की पहुँच होती है जबकि गरीब व्यक्ति

न्याय की आसान पहुँच से वंचित है यह भी कानून के लक्ष्य को प्रभावित करता है।

हालांकि उपर्युक्त समस्याओं के निवारण हेतु सरकार ने विभिन्न प्रयास किये हैं।

इन प्रयासों में संसदीय समितियों के माध्यम से जनता की राय भी कानून निर्माण में शामिल करने का कार्य किया जाता है। इन समितियों के माध्यम से संसद में गिलोटिन जैसी समस्याओं का भी निवारण करने का प्रयास किया है।

सरकार ने हाल ही में कानूनों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। इससे अनावश्यक हस्तक्षेप से बचा जा सकेगा। इस संदर्भ में 2014 से 2019 तक 1500 कानूनों को खत्म किया जाना एक उल्लेखनीय पहल है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वर्तमान समय में सरकार मांग के आधार पर कानूनों का निर्माण कर रही हैं जिनमें स्वास्थ्य सुरक्षा व RTI उल्लेखनीय है।

सरकार ने नीति निर्माण में वन साइज फिट आल के स्थान पर क्षेत्र विशिष्ट नीतियों को नीति आयोग द्वारा बढ़ावा दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार के नीति निर्माण में वंचित वर्ग व महिलाएं केन्द्र में है। इनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं व नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त पहलों के अलावा सरकार को अनेक नवोन्मेषी पहलों का समावेश करना चाहिए। जिस प्रकार लोकपाल विधेयक के निर्माण से पहले सिविल सोसायटी के सदस्यों की कमेटी

से परामर्श किया गया उसी प्रकार प्रत्येक विधेयक के निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

कानून निर्माताओं के चुनावों में स्वच्छ प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। इससे अच्छे लोग विधायिका में आएंगे तो जनता के कल्याण पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

समग्रत: हम कह सकते हैं कानूनों का लक्ष्य स्वतंत्रता का विस्तार व संरक्षित करना है न कि समाप्त या सीमित करना। स्वतंत्रता के परिवेश में ही जनता का कल्याण हो सकता है। इस संदर्भ में कानून निर्माण करते समय गांधी के अंतिम व्यक्ति व विवेकानंद के दरिद्रनारायण की संकल्पना भी अधिक सार्थक होगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

• रामचरित मानस (1574) तुलसी की चिंता भी यही है –

"पर हित सरिस धर्म नहीं भाई।
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।"

अर्थात् कानूनों की स्वतंत्रता के साथ-साथ व्यक्ति को दूसरे की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। जिससे इस वाक्य के भाव को अधिक सार्थक बनाया जा सके।

शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है शिक्षा स्वयं ही जीवन है।

What - क्या
Where
Why
Who/Whom
When
How

इतिहास → विश्व → आधुनिकता — अर्थ
इतिहास → भारत
इतिहास → प्राचीन → गुरुकुल
मध्यकाल → शिक्षा व्यवस्था कमजोर

आधुनिक → अंग्रेजी — मैकाले — आंग्ल, प्राच्य
आधुनिक → आजादी के बाद → कोठारी आयोग
आधुनिक → शिक्षा को रोजगारपरक
आधुनिक → 1986 की शिक्षा नीति
2019 ड्राफ्ट शिक्षा नीति

उच्च शिक्षा विचारों को गति देने का कार्य करे।

thesis Anti

Synthesis

समाज ← शिक्षा — महिला, बच्चों, SC/ST — सुभेद्य वर्ग
लिंगानुपात
आने वाली पीढ़ी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

शिक्षा — (राजनीति) — (चुनाव) — अच्छे लोग चुनेंगे

(संविधान) ↓ व्यवहार में लागू होगा।

नीति निर्माण अच्छा

→ लोग नए अधिकारों की मांग — RTI, लोकपाल

— संस्थाओं का विकास

→ मूल अधिकार की मांग

⇓

— न्यायपालिका → दायरा व्यापक करेगी

⇓

(पंचायत चुनाव) (गरिमामय जीवन) Art-21

(I.R.) — हमारे लोग गुणवत्ता पूर्ण जीवन

⇓

सांस्कृतिक विकास

(अर्थशास्त्र) — रोजगार के साधन

विनिर्माण का हब, 5 trillion dollar economy

(न्यू भारत)

⇓

(जातिवाद)

I.R → R&D को बढ़ावा, तकनीकों का विकास

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नीतिशास्त्र :
- महान लोगों के विचार जानने का माध्यम
⇓
तार्किकता की कसौटी पर परखेंगे

साहित्य : शिक्षा

समस्याएँ
- ~~कम शिक्षा %~~
→ ~~लिंग आधारित भेदभाव~~
→ ~~ग्रामीण क्षेत्रों~~
→ सुविधा वर्ग
- ~~प्राथ~~ उच्चतर शिक्षा
- ~~शिक्षा की गुणवत्ता~~
- ~~शिक्षकों का न होना, गुणवत्ता~~

समाधान
→ RMSA
→ क्षेत्रगत
→ अल्पसंख्यकों नई रोशनी
- ST / [illegible]
→ एकलव्य Model
→ केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना
→ तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा
→ रोजगार परक
⇓
गाँधी की बुनियादी शिक्षा
"हाथ को हुनर और दिमाग को शिक्षा।"

सुझाव :
1. उच्च शिक्षा
2. R&D
3. जन आंदोलन
4. शारीरिक व मानसिक विकास

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)